

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 73 / 2024
निर्णय दिनांक : 28.08.2024
जीसीएमएस संख्या- 2024 / 142

संदीप कुमार नायक पुत्र आशाराम जाति नायक निवारी तोलियासर सुजानगढ़ जिला चूरु
.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
.....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :-

1. श्री जगवीर गोदारा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 परोकार राज उपस्थित।




निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 164 तादादी 11.5070 हैक्टेयर वाके रोही तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता आशाराम के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेतों का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम पवन कुमार पुत्र आशाराम के नाम 1/56 हिस्सा की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम संदीप कुमार नायक पुत्र आशाराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरुस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वादगत खेत में वादी का नाम पवन कुमार पुत्र आशाराम हिस्सा 1/56 जाति नायक सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम संदीप कुमार नायक पुत्र आशाराम जाति नायक है। पवन कुमार व संदीप कुमार नायक दोनों एक ही व्यक्ति हैं


उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अलग-अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजरव रिपोर्ट में पवन कुमार पुत्र आशाराम के स्थान पर संदीप कुमार नायक पुत्र आशाराम किया जाना उचित है।
पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम संदीप कुमार नायक अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 164 तादादी 11.5070 हैक्टेयर वाके रोही तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम पवन कुमार पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी तोलियासर खातेदार के स्थान पर संदीप कुमार नायक पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी तोलियासर खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को टंकित करवाया जाकर सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)

डिकरी ब मुकदमें इत्दाई
(ऑर्डर 20, सल 6-7 जका दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ
श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

संदीप कुमार नैयक बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती
मुकदमा न0 73 सन 2024

यह मुकदमा आज वारते इन्फिसाल कतई रु-ब-रुहाजरी श्री घनश्याम सैनी एड.
भिनजानिब मुद्दई .. भिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुवम दिया जाता है व डिकरी दी जाती
है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को
आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 164 तादादी 11.5070 हैक्टेयर
वाके रोही तोलियासर तहसील सुजानगढ जिला चूरु की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का
नाम पवन कुमार पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी तोलियासर खातेदार के स्थान पर संदीप
कुमार नायक पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी तोलियासर खातेदार दर्ज किया जावे।
तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक
को अदा करे।
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 08. 2024



(Signature)
ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ जिला

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये